

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/05089/2019 जयपुर, दिनांक 13.11.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	505	श्री प्रेम शंकर प्रजापत	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, (आरआईएसएल सीएससी 2.0 स्कीम) बून्दी	1. RPSC, Ajmer- Vice Principal- ITI Exam 2018-19 2. RPSC, Ajmer - ACF and Forest Range Officer Gr-I Exam 2018-19
2.	1438	सुश्री/श्रीमती निष्ठा शर्मा	जे.एल.न. मेडिकल कॉलेज, अजमेर (राज.)	1. RPSC, Ajmer- Vice Principal- ITI Exam 2018-19
3.	1782	श्री प्रशान्त गर्ग	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	2. ISRO Scientist/Engineer-SC (Computer Science) Exam 2019
4.	2330	श्री प्रेमचन्द मेहरा	जे.एल.न. मेडिकल कॉलेज, अजमेर (राज.)	3. RPSC, Ajmer- Vice Principal- ITI Exam 2018-19
5.	2633	सुश्री/श्रीमती पूजा रानी	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	1. UGC NET Exam- Dec.19
6.	3506	श्री प्रकाश मेनारिया	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बड़गाँव, उदयपुर	1. RPSC, Ajmer- Vice Principal- ITI Exam 2018-19
7.	2018 Batch	श्री प्रवीण यादव	राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जयपुर	1. ISRO Scientist/Engineer-SC (Computer Science) Exam 2019

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)
जयपुर, दिनांक

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)